

11 ⁰⁶/₂₄

वकील वादी उपस्थित नहीं। वादीगण स्वयं भी उपस्थित नहीं। इनकी अनुपस्थिति बाबत कोई कारण भी पेश नहीं। बार-बार आवाज लगाई गई। अतः वाद-पत्र अदम पेंसनी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्गम में शुमार की जाकर नम्बर से कम हो तथा बरतीख तकमिल होकर दाखिल दफ्तर हो।